IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

IJARSCT

Impact Factor: 6.252

Volume 2, Issue 2, December 2022

मध्यप्रदेश में मानव संसाधन विकास एवं महिला सशक्तिकरण : एक समीक्षा

वन्दना मिश्रा[1] and डॉ. एन.पी. पाठक[2]

शोधार्थी, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अवशेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

आचार्य, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अवशेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांशः प्रस्तुत शोध में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक प्रणालियों में 'मानव विकास' को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का दर्शन, चिन्तन तथा प्रयास, पूर्णतः मानव संसाधन विकास को समर्पित है क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की कल्पना करना व्यर्थ है। जैसा कि पूर्व पृष्ठों पर बताया जा चुका है कि मानव संसाधन विकास की अवधारणा व्यावहारिक रूप में दो स्तरों पर प्रवर्तित है। भारतीय इतिहास में महिलाओं को पूजनीय माना गया है, हम भारतवासी महिलाओं को हमेशा से एक ऊंचे दर्जे का सम्मान देते थे। ग्रंथों और पुराणों में इस चीज का उल्लेख मिलता है कि भारत में हमेशा से देवताओं के साथ साथ देवियों को भी पूजा जाता है और यह परम्परा सदियों से चली आ रही है। 90 के दशक के बाद भारत की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है, महिलाएं आज घरों से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं और हर क्षेत्र मे अपना नाम रोशन करती हैं। आज महिलाएं मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा, सुरक्षा आदि के में जा कर हर काम कर रही हैं।

मुख्य शब्दः महिला, सशक्तिकरण, मानव, संसाधन, विकास, सरकार, कार्यक्रमों, प्रशासन आदि।

प्रस्तावना :

मानव सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा में प्राकृतिक, प्राविधिक एवं मानवीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावी तथा मूर्तरूप देने के लिए लोक सेवकों की महती भूमिका है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी देश के आम नागरिकों एवं कार्मिक विकास से सम्बन्धित संगठनात्मक प्रयासों को मानव संसाधन विकास के माध्यम से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाए क्योंकि मानवीय श्रम शक्ति में अपार संभावनाएँ मौजूद है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास लोक सेवकों के अदम्य साहस संघर्ष और सहयोग का परिणाम है। वर्तमान लोकल्याणकारी राज्य में विकास पूर्णतः लोक सेवाओं तथा इसमें कार्यरत कार्मिकों पर निर्भर करता है। प्रो. डब्ल्यू. बी. डोनहैम ने कहा था– ''यदि हमारी वर्तमान सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा

मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा।'' अर्थात् प्रशासन की असफलता का कारण होगा कार्मिकों में कुशलता का अभाव।

आम बोलचाल की भाषा में 'एच. आर. डी.' (ह्युमन रिसोर्स डिवेलपमेंट) के नाम से लोकप्रिय हो रही यह अवधारणा किसी संगठन में कार्यरत कर्मिकों के विकास तथा कल्याण को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है। मानवों को संगठन का मूल्यवान तथा असीमित क्षमताओं से युक्त, संसाधन मानकर उसके सर्वांगीण विकास की प्राथमिकता प्रदान करने की यह अवधारणा कुछ दशक पूर्व ही स्वीकार की गई थी। मानव संसाधन के विकास की ओर सर्वप्रथम औद्योगिक संस्थानों में ध्यान दिया गया। पश्चिमी देशों में आरम्भ हुई औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् मनुष्य (श्रमिक) को कल कारखानों में मशीन की तरह उपयोग में लाने की प्रवृत्ति सभी देशों मे विद्यमान थी। कच्चे माल को वास्तविक उत्पादन के रूप में प्रस्तुत करने हेतु मशीन तथा मनुष्य दोनों महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते थे। ए. डब्ल्यू. टेलर की 'वैज्ञानिक प्रबन्ध' विधि के माध्यम से जहाँ एक ओर मशीन, तकनीक, पर्यवेक्षण तथा कार्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जाने लगा। वहीं श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करके अधिक उत्पादन के प्रयास किए जाने लगे किन्तु हावर्ड विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री जार्ज एल्टन मेयो द्वारा सन् 1927 में अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी में किए गए होथोर्न प्रयोग

के पश्चात् परम्परागत प्रबन्ध मान्यताएँ दम तोड़ने लगी। प्रयोगों के पश्चात् यह सिद्ध हो गया कि किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यक्षमता तथा संतुष्टि वहाँ के वातावरण, पर्यवेक्षण, नेतृत्व सहित सामाजिक–मानसिक कारणो पर भी अत्यधिक निर्भर करती है। स्पष्ट है कि मनुष्य को मशीन की तरह उपयोग मे लाने की अपेक्षा उसकी भावनाओं, व्यवहार, रूचि, समूह–स्थिति इत्यादि को समझना आवश्यक है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा कार्मिकों के विकास को सर्वांगीण दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करती है। इस अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि कर्मिकों की संतुष्टि तथा बढाने उत्पादन से पूर्व सम्बन्धित संगठन में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें कार्मिकों की क्षमताएं स्वतः ही बढती रहे इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नित सहित अन्य विविध पक्षों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाए। इस अवधारणा को किसी संगठन में क्रियान्वित करने से पूर्व एक सुस्पष्ट तथा सुसंगठित मानव संसाधन विकास विभाग या इकाई की स्थापना की जाती है जो मानव संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सके।

मानव संसाधन विकास का उद्देश्य मानवीय श्रम का सदुपयोग करना है जिसमें जनशक्ति विकास भी शामिल है। जनशक्ति का अर्थ सभी प्रकार के संगठित और असंगठित श्रमिक, नियोक्ता और पर्यवेक्षक प्रबन्धक एवं कर्मचारी से है। यह शब्द श्रम के बहुत निकट है सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं किन्तु अभी कार्यरत नहीं है, मानव संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन विकास आयोजन का अर्थ ऐसे कार्यक्रम से है जिसमें नियोक्ता द्वारा संस्था कर्मचारियों की प्राप्ति विकास अनुरक्षण और उपयोग संभव है। मानव संसाधन का मूल्यांकन उसका पूर्वानुमान तथा उपलब्धि के स्रोतो की खोज आदि भी मानव संसाधन

विकास की विषय–वस्तु है। जिस प्रकार आर्थिक आयोजन उत्पादकीय का उद्देश्य साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है उसी प्रकार मानव संसाधन विकास उद्देश्य जनशक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग है। आज मानव संसाधन विकास का अर्थ व्यापक होता जा रहा है। मानव संसाधन विकास ऐसी पद्धति है जिसमें सभी वर्गों के तथा सभी स्तरों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य उपलब्ध करने तथा उनकी शक्ति का पूर्ण उपयोग संभव करने की दृष्टि से योजनाबद्ध कार्यवाही की जाती है। आधुनिक युग में जब श्रमिक एवं कार्मिक अपने हितों के प्रति जागरूक हो रहे हैं तथा मानवीय समस्याएं एवं आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है।

विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी तरीका कुछ नहीं है'... इस बयान से अधिक सटीक तरीके से महिलाओं की क्षमता का परिचय और कोई नहीं हो सकता। भूमिका चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, ऐसा कुछ नहीं है, जो महिलाएं हासिल नहीं कर सकी हैं। मां के रूप में वे अनंत काल से ही दुनिया के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालने–पोसने का काम खूबसूरती के साथ करती आई हैं। बहनों, बेटियों और पत्नियों के रूप में उन्होंने कई तरह से पुरुषों का साथ दिया है। अधिक आधुनिक भूमिकाओं में वे शिक्षक, प्रबंधक, राजनेता आदि रही हैं। पिछले कुछ समय में तो उन्होंने लैंगिक बाधाएं भी लांघी हैं और पर्वतारोही, पायलट बनने के साथ सशस्त्र सेनाओं में लड़ती हुई भी नजर आई हैं। किंतु महिलाओं के लिए स्थितियां हमेशा ऐसी नहीं थीं। अतीत में महिला को पुरुष के बगैर कुछ नहीं माना जाता था, वह केवल बेटी, पत्नी या मां ही हो सकती थी। वह नेतृत्व नहीं कर सकती थी, हमेशा अपने जीवन में मौजूद 'पुरुष' ;चाहे पिता हो, बेटा या पति, की छाया तले रहती थी। निर्णय लेने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती थी। यह नजरिया पश्चिमी समाज में भी था, जहां महिलाओं को मताधिकार बहुत देर में हासिल हुआ। भारत में भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, मताधिकार और विवाह तथा रोजगार के मामले में समान नागरिक अधिकार सदी भर संघर्ष करने के बाद ही हासिल हो सके। भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दे दिया। एक के बाद एक सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रा में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय किए। उन्हें अपनी प्रतिभा दर्शाने तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता की भावना महसूस करने के लिए नए अवसर दिए गए। पिछले कुछ दशकों में संसद द्वारा बनाए गए कई कानूनों तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति प्रदान करने की दिशा में बहुत कुछ किया है। शिक्षा ने महिलाओं को बहुत सशक्त बनाया है और महिलाएं जहां शिक्षित हुई हैं, वहां सबसे तेज गति से सशक्तिकरण हुआ है। इससे महिलाओं को विवाह, मातृत्व और कैरियर के बारे में फैसले लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। शिक्षा ने विवाह से इतर अवसरों के बारे में जागरुकता उत्पन्न की है, स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता दी है और 'उसके जीवन में मौजूद पुरुष' ;चाहे पिता हो या पति, पर उसकी निर्भरता भी कम की है। अब उसे घर पर घरेलू हिंसा अथवा मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ता है। इससे उसे गर्भधारण करने के बारे में फैसला लेने अथवा अनचाही संतान की सूरत में गर्भपात करने का अधिकार भी मिल गया है। स्वास्थ्य

के मामले में भी महिलाओं को कष्ट सहना पड़ता है। अधिकतर महिलाओं के पास सेहत की देखभाल करने का ना तो समय होता है, न सोच होती है और न ही सुविधाएं होती हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के पास तो घरों में शौचालय जैसी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं होतीं। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को सरकारी नीतियों में प्राथमिकता मिली है और सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढाओं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम चला रही है। अकेली महिलाओं चाहे विधवा हो, तलाकशुदा हो या अविवाहित हो उनसे जो सामाजिक लांछन जुड़ा होता था, वह भी भारत में महिलाओं के निचले दर्जे का एक कारण रहा है। अकेली महिला को हमेशा ताने दिए जाते हैं अथवा सामाजिक रूप से बहिष्कृत माना जाता है लेकिन धीरे ही सही, अब यह सब बदल रहा है। आज की महिला वास्तव में पुराने जमाने से काफी आगे निकल आई है। उसने कई क्षेत्रों में भेदभाव की बाधा लांघ ली है। सबसे शक्तिशाली लोगों में आज कई महिलाएं हैं, जिनमें इंद्रा नूयी, किरण मजूमदार शॉ और चंदा कोछड़ के नाम हैं। भावना कंठ, अवनि चतुर्वेदी और मोहना सिंह को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 2015 के गणतंत्र दिवस पर सेना के तीनों अंगों, थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना, से पूरी तरह महिलाओं की टुकड़ी राजपथ पर निकली। महिलाएं अपनी शक्ति से यह हासिल कर सकती हैं।

दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, इसलिए उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान माने जाने का अधिकार है। इस बात का महत्व इसी से रेखांकित होता है कि 'महिला सशक्तीकरण' को आठवें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। स्वामी विवेकानंद की उक्ति, 'जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना संभव नहीं है', परिवार ही नहीं बल्कि राष्ट्र और विश्व को भी नेतृत्व प्रदान करने की महिलाओं की क्षमता की सुंदरता से व्याख्या करती है।

शोध कार्य का उद्देश्य :

1. आर्थिक विकास में मानव संसाधन विकास की भूमिका का अध्ययन करना है।
2. मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना।
3. मानव संसाधान विकास में महिला संशक्तिकरण का अध्ययन करना।

शोध निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि 90 के दशक के बाद भारत की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है, महिलाएं आज घरों से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं और हर क्षेत्र मे अपना नाम रोशन करती हैं। जैसे आज महिलाएं मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा, सुरक्षा आदि के क्षेत्र मे जा कर हर काम कर रही हैं जो एक पुरुष कर सकता है. लेकिन सिर्फ नारी को आगे लाने की बात करने और सरकार द्वारा ऐसी

योजना बना देने से महिला सशक्तिकरण की भावना का उचित विकास नहीं हो सकता। अतः हमें जरूरत है सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की, अगर हम लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने में कामयाब रहे और महिला सशक्तिकरण की भावना का विकास करने में संभव और सफल रहे तो हमारा देश चौमुखी विकास करेगा और जल्द ही देश से भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमारा देश भारत भी विकसित देश की श्रेणियों में गिना जाएगा।आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी संचय के बजाय आजकल व्यवहार में पूंजी स्टॉक की वृद्धि को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। जो पूर्णतः मानव संसाधन विकास पर निर्भर करता है। मानव संसाधन विकास देश के निवासियों को आय, कुशलता एवं क्षमता बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। आर्थर लुइस का कहना है कि आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। यह बात सही है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास उसकी कार्यकुशलता तथा प्रशिक्षित श्रमशक्ति पर निर्भर करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

[1]. शर्मा, प्रज्ञा. (2011).'' भारतीय समाज में नारी.'' जयपुर, पॉइंटर पब्लिशर्स।

[2]. चोपड़ा, पी. एन. पुरी, बी. एन., दास एम. एन. (2005)'' भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास." दिल्ली : मेकमिलन इंडिया लि.।

[3]. शर्मा, गोपीनाथ. (2008). ''राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास." जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी।

[4]. शर्मा, कालूराम. (2004).'' उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन." जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

[5]. जैन, हुकुमचंद एवं माली, नारायण. (2011).'' राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, एनसाइक्लोपीडिया" जयपुर : जैन प्रकाशन मंदिर।

[6]. Ahuja Ram, Research Methos, Rawat Publication, Jaipur, 2001

[7]. Ahuja Ram, Samajik Swarvekshan awam Anusandhan, Rawat Publication, Jaipur.

[8]. Akanf, Rasel L., Scientific Methods, John Ville & Sons, Newyork, 1962

[9]. Akanf, Rasel L., The Design of Social Research, Univeristy of Chikago Press, Chikago, 1961

[10]. Baule, A.L., Reliment of Staticstics, P. S., King and Stepals Ltd., London, 1937

[11]. Beli, Kennath D., Methos of Social Research, the free press, Newyork, 1982

[12]. कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2018

[13]. योजना पत्रिका जनवरी 2019

[14]. दैनिक समाचार के विभिन्न अंक